यमुना नदी / नदी का अग्रभाग, जोन 'ओ'
की
क्षेत्रीय विकास योजना
का मसौदा

जुलाई, 2008

दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा
आपत्तियां / सुझाव आमंत्रित करने के लिए
संकल्प सं. 34 / 2008, दिनांक 18.6.2008
के माध्यम से अनुमोदित

दिल्ली विकास प्राधिकरण

Rs. 95/-

विषय–वस्तु

	विषय	पृष्ठ सं.
	प्रस्तावना	iv
1.0	परिचय	1
2.0	सांविधिक व्यवस्थाएं और उद्देश्य	1
3.0	अवस्थिति, सीमा और क्षेत्रफल	1
4.0	विद्यमान विशेषताएं/विकास	2
4.1	जोन की मुख्य विशेषताएं	2
4.2	यमुना नदी के दोनों ओर विभिन्न भागों/खंडों की विद्यमान विशेषताएं	2
5.0	विभिन्न प्रस्ताव तथा अनुशंसाएं	4
5.1	दि.मु.यो.–1962	4
5.2	दिल्ली मुख्य योजना–2001 के प्रस्ताव	4
5.3	दिल्ली नगर कला आयोग–संकल्पनात्मक योजना–2001	4
5.4	राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र–क्षेत्रीय योजना–2021	4
5.5	स्लम विंग, दिल्ली नगर कला/राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की यमुना कार्य योजना	5
5.6	दिल्ली मुख्य योजना–2021	5
6.0	जोन के लिए किए गए अध्ययन	6
6.1	सी.डब्ल्यू.पी.आर.एस. जलमार्गीकरण पर हाइड्रॉलिक मॉडल अध्ययन	6
6.2	भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण	6
6.3	यमुना नदी तट की योजना एवं विकास पर योजना एवं वास्तुकला स्कूल, नई दिल्ली का अध्ययन	7
6.4	यमुना नदी के जीर्णोद्धार हेतु पर्यावरण प्रबंधन योजना पर नीरी (एन.ई.ई.आर.आई.) अध्ययन	8
6.5	दिल्ली मुख्य योजना–2001 पर आधारित प्रारूप क्षेत्रीय योजना	11
6.6	यमुना नदी/नदी तट जोन 'ओ' दि.मु.यो.–2021	11
6.7	दि.न.क.आ. इमेजिंग दिल्ली–2006	12
7.0	संरक्षण गांव, आबादकार बस्तियां, पुनर्वास कॉलोनियों और अनधिकृत कॉलोनियां	12
7.1	निर्मित विरासत का संरक्षण	12
7.2	गांव	12
7.3	आबादकार बस्ती	13
7.4	पुनर्वास कॉलोनियां	13
7.5	अनधिकृत कॉलोनियां	13
8.0	क्षेत्रीय विकास योजना के लक्ष्य तथा फ्रेमवर्क	13
8.1	किए गए विभिन्न अध्ययन एवं प्राप्त निष्कर्ष	13
8.2	नदी क्षेत्रों के जीणोद्धार हेतु कुछ अन्य विवेचनात्मक मामले	14
8.3	नीति	15
8.4	नदी तट का पुनरूद्धार	16

8.5	नदी तट के विकास की नीतियां	17
8.6	आधारिक–संरचना सुधार	17
8.7	स्वच्छ, शांत और बहु–उपयोग	18
8.8	नदी में जल की पर्याप्त मात्रा की उपलब्धता सुनिश्चित करना	18
8.9	विद्यमान बांधों की क्षमता	18
8.10	प्रदूषण नियंत्रण और नदी जल गुणवत्ता को निर्धारित मानदण्डों के अनुरूप उन्नत करने की नीतियां	18
9.0	योजना प्रस्ताव	23
9.1	उप जोनों की रूपरेखा	23
9.2	प्रस्तावित भूमि उपयोग	24
9.3	नदी के लिए बढ़ी हुई पहुंच	27
9.4	विकास प्राथमिकता	27
10.0	परिवहन	28
11.0	शहरी डिजाइन	28
12.0	विकास के चरण	29

अनुबंध

I	राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली जोन (डिवीजन)	**I**
II	यमुना कार्य–योजना (2004) के लिए सचिव (शहरी विकास) शहरी विकास मंत्रालय के अधीन समिति की सिफारिशें	**II**
III	वजीराबाद बराज से ओखला बराज तक प्रस्तावित भूमि उपयोग योजना और संशोधित नदी स्थलाकृति	**IV**
IV	ए. से एच. जोन (डिवीजन) के लिए उप जोन	**V**
V	अनधिकृत कॉलोनियों की अनंतिम सूची	**VI**
VI	दिल्ली में नालों की सप्लाई की योजना	**IX**

प्रस्तावना

दिनांक 6.9.2007 को आयोजित की गई प्राधिकरण की बैठक में प्राधिकरण के संकल्प के अनुसार 1.1.2006 से पूर्व लोगों को सांस्कृतिक, धार्मिक (आध्यात्मिक सहित), स्वास्थ्य–देखभाल और शैक्षणिक सुविधाएं प्रदान करने वाले वास्तविक पूर्व–विद्यमान संस्थानों, जो रिज अथवा ग्राम सभा अथवा सार्वजनिक भूमि का भाग नहीं हैं, को मुख्य योजना–2021 के खण्ड 3 और 4 को ध्यान में रखते हुए संबंधित जोनल योजनाओं में उनके वर्तमान भूमि उपयोग के साथ–साथ शामिल किया जाएगा । तथापि, ऐसे संस्थानों को वास्तविक सत्यापन, एफ.ए.आर., विकास प्रभारों, भूमि उपयोग, आदि के संबंध में समुचित नीति और प्रक्रियागत निर्धारणों की शर्त पर शामिल किया जाएगा।